निर्णय अपील :– कासम बनाम ग्राम पंचायत मांगता धारा 75 आरएलआर एक्ट
निर्णय दिनांक :– 05.08.2025
प्रकरण संख्या :–2005/00021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी धोरीमन्ना (जिला–बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 01/2015 GCMS no 2005/00021

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

कासम पुत्र अमरा जाति मुसलमान निवासी गोदारों का तला,दूधिया, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।	01. ग्राम पंचायत मांगता जरिये सरपंच 02. आसुदेवी पत्नी हीराराम 03. अमेदी पत्नी मगाराम जातियान जाट निवासी सियोलों की ढाणी, शौभाला जैतमाल, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान। 04. हासम पुत्र अमरा 05. हारून पुत्र अमरा 06. तालम पुत्र अमरा 07. इस्माईल पुत्र अमरा 08. नवाब खां पुत्र सफी 09. बेगम बैवा सफी 10. रामत बैवा राणा 11. सुमार खां पुत्र राणा जाति मुसलमान निवासी गोदारों का तला ,दूदिया तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर, राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 आरएलआर एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 05.04.2005 जो ग्राम पंचायत मांगता द्वारा पारित किया गया

तारिख दर्ज :01.04.2015

अधिवक्ता

01. श्री भाखराराम गोदारा अधिवक्ता अपीलान्ट
02. केसराराम विश्नोई रेस्पोडेंट (4 से 8 व 11)
03. श्री मदनलाल रामावत रेस्पोडेन्ट (2 से 3)

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:14:33 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :–05.08.2025

1. वकील मय अपीलान्ट ने एक अपील धारा 75 [illegible] अधिनियम की [illegible] निवेदन किया कि अपीलान्ट [illegible] नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक [illegible] 2005 जो ग्राम पंचायत मांगता द्वारा पारित किया गया कि अपीलांट व उत्तरदातागण

संख्या 4 से 11 मौजा गोदारों का तला,दूदिया में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 216 रकबा 147–17 बीघा का आया हुआ है उसमें अपीलांट का 1/15 हिस्सा आता है।। अपीलकर्ता अन्धा व बहरा व्यक्ति है जो न सुन सकता है व न देख सकता है। अपीलकर्ता के छोटे भाई हारम जो उतरदाता संख्या 4 ने अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 216 रकबा 147–17 बीघा किस्म बारानी सोयम का 1/15 हिस्से का बेचान उतरदाता संख्या 2 व 3 को किया तब अपीलकर्ता को भी तहसील कार्यालय गुड़ामालानी साथ ले गये ओर अपीलकर्ता के हिस्से की सरकारी 3 बीघा भूमि उतरदाता संख्या 2 व 3 को बेचान कर प्रतिफल प्राप्त कर उतरदाता संख्या 2 व 3 को 3 बीघा भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया था। परन्तु उतरदाता संख्या 2 व 3 ने छलकपट कर अपीलकर्ता को धोके में रखकर अपीलकर्ता के सम्पूर्ण हिस्से 1/15 की साजिसी तौर पर रजिस्ट्री लिखवाकर पंजियन करवाकर एकपक्षीय नामान्तकरण संख्या 66 मौजा गोदारों का तला में उतरदाता संख्या 2 व 3 के नाम दिनांक 05.04.2005 को सरपंच ग्राम पंचायत मांगता द्वारा पारित कर दिया गया जिसमें अपीलकर्ता को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। एवं भूमि के कब्जा बाबत् सरपंच द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया तथा नामान्तकरण की प्रक्रिया में राजस्व नियमावली के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है जिससे यह अपील पेश की गई है। वर्षा होने पर अपीलकर्ता को काश्त करने से उतरदातागण द्वारा मना करने पर हल्का पटवारी को मौके पर खेत नपवाने लाया तब हल्का पटवारी ने दिनांक 30.06.2005 को जमाबंदी देकर बताया कि अपीलकर्ता की खसरा संख्या 216 मौजा गोदारों का तला में खातेदारी नहीं है ओर भूमिहीन हो गया है जो दिनांक 10.02.2005 के बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण संख्या 66 दिनांक 05.04.2005 के पारित होने से हुआ है । जब अपीलकर्ता ने दिनांक 05.07.2005 को नामान्तकरण संख्या 66 की नकल हल्का पटवारी से प्राप्त की तब उक्त नामान्तकरण पारित होने का अपीलकर्ता को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ तब अपीलकर्ता ने उपपंजियक कार्यालय गुड़ामालानी से दिनांक 08.07.2005 को बेचान दस्तावेज की नकल मंगवाकर प्राप्त की तब सर्वप्रथम फर्जी बेचान दस्तावेज का ज्ञान हुआ तथा गांव में अकाल वर्ष होने से एवं अपीलकर्ता के अन्धा व बहरा होने से किराया एवं अपील खर्चा की आर्थिक व्यवस्था कर ज्ञान की तिथि से अपील ज्ञान की तारीख अन्दर म्याद पेश की है अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र साथ पेश है। कि अपील पर निर्धारित कोर्ट फीस स्टाम्प रूपये दो के साथ पेश है।

2. अपील पेश हुई जो दर्ज रजिस्ट्रर कर उतरदातागण को जरिये डाक से तलब किया गया नोटीसो की डाक रसिदे प्राप्त हुई रेस्पोडेट संख्या 2 से 3 तथा 4 से 8 व 11 मय वकुलाय उपस्थित न्यायालय हाजा हुए। उतरदाता संख्या 6,7,8 व 11 मय वकुलाय जवाब पेश कर अपील में वर्णित तथ्यो को स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत मांगता द्वारा राजस्व ग्राम गोदारों का तला में नामान्तकरण संख्या 66 जो दिनांक 10.02.2005 के पंजियन दस्तावेज छलकपट एवं धोखे से कराया गया उनके आधार पर नामान्तकरण पारित आदेश दिनांक 05.04.2005 को निरस्त कर पुनः अपीलकर्ता के नाम खातेदारी दर्ज कर [illegible] से सही नामान्तरकरण हेतु निवेदन किया । उतरदाता संख्या 2 व 3 को जवाब हेतु अनेक अवसर दिये जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:14:33 IST
Reason: SelfAttested

बावजूद जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया गया। तत्पश्चात पत्रावली में उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. कि मुख्य बिन्दूओं पर विचार करने से पुर्व व अपील का मेरीट पर निस्तारण से पुर्व धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में नामान्तरकरण संख्या 66 जो दिनांक 05.04.2005 को पारित किया गया जिसका अपीलकर्ता को ज्ञान होने पर हल्का पटवारी से उक्त नामान्तकरण की नकल दिनांक 05.07.2005 को प्राप्त कर बेचान दस्तावेज की नकले उपपंजियक कार्यालय गुड़ामालानी से दिनांक 08.07.2005 को प्राप्त कर उक्त नामान्तकरण के विरूद्व यह अपील दिनांक 16.07.2005 को पेश की गई जो कि पेश करने में 3 महिने 11 दिन का विलम्ब है परन्तु अपीलान्ट एक अन्धा व बहरा व्यक्ति होने से नकल प्राप्त करने में विलम्ब हुआ है साथ ही उतरदातागण द्वारा इस सम्बंध में कोई उजर ऐतराज नही किया है ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुआ विलम्ब माफ किया जाना न्याय संगत है इसीलिए धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है।

4. मैंने पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली में पेश आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 66 का अवलोकन किया गया । चूंकी अपीलान्ट एक अन्धा व्यक्ति है जिसके संबंध में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अपीलान्ट के वकील द्वारा पत्रावली में पेश किया गया है तथा अपीलकर्ता ने अपील अपील में मुख्य कथन यह किया है कि अपीलकर्ता ने अपने हिस्से की सरकारी 3 बीघा भूमि उतरदाता संख्या 2 व 3 को बेचान कर उतरदाता संख्या 2 व 3 को 3 बीघा भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया था। परन्तु उतरदाता संख्या 2 व 3 ने छलकपट कर अपीलकर्ता को धोके में रखकर अपीलकर्ता के सम्पूर्ण हिस्से यानि 1/15 की साजिसी तौर पर रजिस्ट्री लिखवाकर पंजियन करवाकर एकपक्षीय नामान्तकरण संख्या 66 मौजा गोदारों का तला में उतरदाता संख्या 2 व 3 के नाम दिनांक 05.04.2005 को सरपंच ग्राम पंचायत मांगता द्वारा पारित कर दिया गया जिसमें अपीलकर्ता को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। एवं भूमि के कब्जा बाबत् सरपंच द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया तथा नामान्तकरण की प्रक्रिया में राजस्व नियमावली के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। जिसके संबंध मे उतरदातागण संख्या 6,7,8 व 11 ने अपने जवाबदावे में अपीलान्ट के तथ्यों को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत मांगता द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 66 दिनांक 05.04.2005 को खारिज करने का कथन किया गया है। इसीलिए ऐसे नामान्तकरण को पारित करते समय अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए दुरस्त करना विधि समत है । इसीलिए नामान्तरकरण संख्या 66 पारित दिनांक 05.04.2005 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मांगता विधि विरूद्ध होने से अपास्त कर अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए भूमि के कब्जा की उचित भौतिक सत्यापन किया जाकर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित किया जाना वि[illegible] है ।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में [illegible] कि अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वी[illegible] गोदारों का [illegible] ,दुधिया तहसील धोरीमना में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 216 रकबा 14–17 बीघा किस्म बा. सोयम में उतरदाता संख्या 1 द्वारा दिनांक 05.04.2005 को पारित नामान्तरकरण संख्या 66 को अपास्त कर तहसीलदार धोरीमन्ना को अपीलान्ट कासम पुत्र अमरा जाति मुसलमान

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:14:33 IST
Reason: SelfAttested

के हिस्से की जांच कर अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए विवादित आराजी के वर्तमान कब्जे की बाद जांच नामान्तकरण पुनः पारित करने हेतु आदेशित किया जाना उचित व विधि समत होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 05.04.2005 जो ग्राम पंचायत मांगता द्वारा पारित किया के विरूद्ध अपील भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम गोदारों का तला,दूदिया में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 216 रकबा 147–17 बीघा किस्म बा. सोयम में उतरदाता संख्या 1 द्वारा दिनांक 05.04.2005 को पारित नामान्तरकरण संख्या 66 को अपास्त कर तहसीलदार धोरीमन्ना को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए नामान्तकरण पारित करते समय राजस्व नियमावली के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए नामान्तरकरण की जांच कर पुनःदर्ज कर पारित करावें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

5/8/2025

(भागीरथराम आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

5/8/2025

(भागीरथराम आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:14:33 IST
Reason: SelfAttested